

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2157
गुरुवार, 04 अगस्त, 2022/13 श्रावण, 1944 (शक)

असंगठित और संगठित क्षेत्रों के कामगारों का प्रतिशत

2157. डा. वी. शिवादासन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पाँच वर्षों में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के भारतीय कामगारों की कुल संख्या के वर्ष-वार आंकड़े क्या है;
- (ख) विगत पाँच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में कामगारों की संख्या कितनी है और देश में कुल सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के प्रतिशत के वर्ष-वार आंकड़े क्या है;
- (ग) संगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या कितनी है और संगठित क्षेत्र में कुल नौकरियों का प्रतिशत क्या है; और
- (घ) देश में असंगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या कितनी है और कुल नौकरियों का प्रतिशत कितना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात निम्नानुसार है:

वर्ष	कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)
2017-18	46.8
2018-19	47.3
2019-20	50.9
2020-21	52.6

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

पीएलएफएस रिपोर्टों के आधार पर, आर्थिक सर्वेक्षण में, संगठित और असंगठित क्षेत्र में सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित रोजगार निम्नानुसार है:

वर्ष	संगठित क्षेत्र		असंगठित क्षेत्र		कुल संख्या (करोड़)
	संख्या (करोड़)	भाग % में	संख्या (करोड़)	भाग % में	
2017-18	9.1	19.2	38.1	80.8	47.1
2018-19	9.5	19.4	39.3	80.6	48.8
2019-20	9.6	17.8	44.0	82.2	53.5

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या (लाख में)
2016-17	11.29
2017-18	10.87
2018-19	10.71
2019-20	9.10
2020-21	8.61

स्रोत: डीपीई, वित्त मंत्रालय
